मनोज .... बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र नं० 112 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
18/09/2023	पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को सम्मन मय नकल जारी होकर पत्रावली वास्ते नोटिस तामिल दिनांक 04/10/2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा	
04/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की बाद तामील प्राप्त जो शा०का० रहे। अप्रार्थी पेशकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा के न्यायालय मे उपस्थित हो पत्रावली मे No-objection प्रस्तुत कर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 10/10/23 को पेश हो। S.D.O.	NO OBJECTION
10/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व पेशकार सरकार न्यायालय में उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र धारा-128 पर बहस की। उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/10/2023 को पेश हो। S.D.O.	
18/10/2023	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन कर गहनता से मनन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस के दौरान दी दलीलों से हम संतुष्ट है। प्रार्थी का प्रा०पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested

धारा-128 बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र धारा-128 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रा०पत्र धारा-128 का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested